

प्रस्ताव

वित्त नियन्त्रक,
पशुपालन विभाग,
उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में

प्रक्षेत्र प्रबन्धक,
राजकीय पशुधन एवं काने प्रक्षेत्र,
नीलगॉव-सीतापुर।

संख्या-
दिपय-

राष्ट्रीय कृषि विकास ङंजनान्तर्गत झारू वित्तीय वर्ष 2016-19 के लिये आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष पशुपालन विभाग की परियोजनाओं के संचालन हेतु धनराशि का ऑवटन।

दिनांक 17-12-18

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृषि अनुभाग-3 के शासनादेश सं०-1001(1)/12-3-2018-100(07)/2016टीसी,दि० 13 नवम्बर, 2018 द्वारा पशुपालन विभाग के अन्तर्गत संचालित पूंजीगत परियोजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में निम्नलिखित विकल्पानुसार निर्देशक, रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र के पत्र सं०-2298/40-2/आर.के.वी.वाई./31(15)च/2018-19,दि० 13-12-2018 द्वारा दिये गये प्रस्त.वांनसार झारू वित्तीय वर्ष 2016-19 के लिए योजना के सफल संचालन हेतु Alloment Grid Report में उल्लिखित धनराशि आपका निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यय हेतु ऑवटित की जाती है। शर्तों से विचलन की दशा में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

कार्यक्रम का नाम	आहरण वितरण अधिकारी	मानक मद	ऑवटित धनराशि (धनराशि रु०में)
Strengthening and moderni- zation of Govt. Livestock farm at Neelgaon Sitapur	प्रक्षेत्र प्रबन्धक,राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र, नीलगॉव-सीतापुर	24-बृहत् निर्माण कार्य	रु० 13340000.00

- ऑवटित की जा रही धनराशि का आहरण नियमानुसार किया जायेगा उक्त स्थायीकरण में पूर्व में अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराने के उपरांत ही ऑवटित धनराशि का व्यय किया जायेगा।
- ऑवटित की जा रही धनराशि का ऑवटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल और फाइनेंसियल हेण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य संमक्ष प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। केन्द्र प्रेषित बाह्य सहायता तथा राज्य/जिला सेक्टर जिसमें राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी को किसी प्रकार (Cash or Kind) की सस्मिन्डी/सहायक अनुदान(पैरवेटन) दिया जाता है, ऐसी सभी योजनाओं/कार्यक्रमों में लाभार्थी की संख्या व पात्रता तथा उस दी जाने वाली धनराशि आदि के संबंध में शा०सं०-3497/123-2012-100(20)/2012,दिनांक 7-11-2012 के अनुपालन में मा० मुख्यमंत्रीजी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।
- निर्देशक, पशुपालन विभाग द्वारा ऑवटित धनराशि वित्त विभाग के कार्यालय झापू, संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015,दिनांक 30-3-2015 के संगत प्राविधान के अनुसार आहरित कर प्रशरगत परियोजना यथा Strengthening and modernization of Govt. Livestock farm at Neelgaon Sitapur हेतु उ०प्र०आवास विकास परिषद को उपलब्ध कराई जायेगी।
- ऑवटित की जा रही उक्त धनराशि का उपयोग योजना की मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित एस. एल.एस.सी. द्वारा अनुमोदित परियोजना प्रस्ताव/अनुमोदित कार्ययोजना के अनुरूप भारत सरकार के दिशा-निर्देशों/गाइड लाईन्स एवं संगत नियमों के अनुसार सुनिश्चित किया जाये तथा धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जाये जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है तथा आय-व्ययक में प्राविधानित हैं किसी अन्य भिन्न मद में न ही इसका व्यय किया जाये और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका लायवर्जन किया जाये। यदि किसी मद में व्यय करने की अनुमति भारत सरकार द्वारा कार्य योजना में सापेक्ष न हो तो उसकी सूचना शासन में उपलब्ध कराई जाये। योजनान्तर्गत धनराशि का उपयोग योजना को कार्ययोजना में अनुमोदित भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप ही किया जायेगा।
- उक्त ऑवटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराया जाय। विभिन्न घटकों के अन्तर्गत कराये गये कार्यों की मासिक आधार पर भौतिक/वित्तीय प्रगति रिपोर्ट राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराई जायेगी साथ ही निर्देशक, पशुपालन विभाग उ०प्र० द्वारा एह भी सुनिश्चित किया जायेगा उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विसृत्ति न हों।
- उक्त ऑवटित धनराशि का समग्र पर सड़क, रोग एवं उपभोग आगामी समय सारिणी बनाकर सुनिश्चित कराया जायेगा।
- ऑवटित की जा रही धनराशि से सम्भावित व्यय की फेजिंग कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार की जाय। जहाँ तक सम्भव हो व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय। आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय ऑवटित धनराशि का आहरण एकमुश्त न किया जाय क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के भोक्त प्रबन्धन(कैश मैनेजमेंट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा अनावश्यक रूप से बैंकों में खाता खोलकर धनराशि जमा करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। शासन की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर कोई भी धनराशि बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी यदि ऐसा प्रकरण शासन के संचालन में आता है तो इसे गम्भीर वित्तीय अनियमितता मानते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- ऑवटित की जा रही धनराशि के व्यय पर नियन्त्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06-08-1994 द्वारा निर्मित निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ०प्र० बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तिय औचित्य के मानकों (स्टेण्डर्ड ऑफ फाइनेंसियल प्रोफिटेबिलिटी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

- (9) आहरण वितरण अधिकारी ऑवटित धनराशि से जनता के बीच योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार सुनिश्चित किया जाय। उक्त योजना का पूरा विवरण वेवसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा। योजना का Impact assessment कराया जायेगा और उसका समुचित फीडबैक दिया जायेगा। योजना के कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना के कार्यों की पूर्णता का पूरा विवरण नोडल अधिकारी, मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाय।
- (10) वित्त लेखानुभाग-1 के शासनादेश सं०-ए-1-285/दस-2012-10(29)/2011टी0सी0-11, दि० 29 मई, 2012 द्वारा संमस्त भुगतान NEFT/RTGS के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली लाभार्थी के खाते में सीधे क्रेडिट किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
अतः उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान तदनुसार सुनिश्चित किया जाय। भारत सरकार के पत्र सं०-1-11011/58/2013-डी.बी.टी., दिनांक 25-2-2015 द्वारा डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डी.बी.टी.) के अन्तर्गत नकद धनराशि व्यक्तिगत लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किये जाने का निर्देश दिया गया है। अतः ऑवटित धनराशि का तदनुसार भुगतान सुनिश्चित किया जाये।
- (11) उक्त ऑवटित धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अनुसार व्यय करने का उत्तरदायित्व निदेशक, पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ का होगा।
- (12) उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान सं०-11 के अधीन लेखाशीर्षक-4401-फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-0205-पशुपालन की पूँजीगत योजनाएँ (के. 60/रा.40-के.+रा.)-24-बृहत् निर्माण कार्य के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।
- (13) ऑवटित की जा रही धनराशि की प्रविष्टि ऑवटन पंजिका के क्रम संख्या-02 (अनुदान-11) पर अंकित कर ली गई है।
सलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(नरेन्द्र प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक।

संख्या- 1120 / बजट / 29(5) / अनु०-11/02/2018-19, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, सीतापुर।
- (2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी-1)/लेखानुभाग, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- (3) अनुसचिव, उत्तर प्रदेश शासन, कृषि अनुभाग-3, सचिवालय, लखनऊ।
- (4) अनुसचिव, पशुधन अनुभाग-2, उ०प्र० शासन, सचिवालय, लखनऊ।
- (5) निदेशक, रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- (6) उप निदेशक (प्रक्षेत्र) पशुपालन विभाग, महानगर, लखनऊ।
- (7) योजनाधिकारी अपर निदेशक (गो०वि००)/नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, मु० को निदेशक, रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र के पत्र सं०-2296/प०-2/आर.के.वी.वाई./31(15)च/2018-19, दि० 13-12-2018 में दिये गये आवंटन प्रस्ताव के अनुसार धनराशि का ऑवटन संबंधित को किया जा रहा है। कृपया व्यय संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश संबंधित आ०वि० अधिकारी को अपने स्तर से देने का कष्ट करें तथा व्यय उपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र राज्य नोडल अधिकारी/संयुक्त निदेशक (नियोजन), मुख्यालय को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- (8) संयुक्त निदेशक (नियोजन), मुख्यालय।
- (9) कम्प्यूटर ऑपरेटर, मु० को इस आशय से प्रेषित कि उक्त ऑवटन को विभागीय वेवसाइट पर फीड करने का कष्ट करें।
- (10) व्यय सहायक, बजट अनुभाग, मुख्यालय।

(नरेन्द्र प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक।

Print Report

Allotment Grid Report


वित्तीय वर्ष:-2018-2019
आवंटन दिनांक-17/12/2018

प्रेषण संख्या:- 1120
आवंटन आदेश संख्या:- 002-29-5-ANU-11-4401-RKVY-2018-19
अनुदान संख्या:- 11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)(वित्तीय वर्ष 2018-2019 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 4401 - फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत-परिव्यय(आयोजनेत्तर-मतदेय)
800 - अन्य व्यय
02 - राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.60/रा.40-के.+रा.)
05 - पशु पालन की पूंजीगत योजनायें (के.60/रा.40-के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
1	सीतापुर-2294-मु0त0अ0-प्र0 प्रब0-अधी-0 रा0पशु0एवं कृषि प्र0 , --01--	वर्तमान प्रगामी	13340000 13340000	13340000 13340000
	योग	वर्तमान प्रगामी	13340000 13340000	13340000 13340000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ तैंतीस लाख चालीस हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़ तैंतीस लाख चालीस हजार


(अनन्द प्रताप सिंह)
वित्त नियंत्रक
C/S